राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, मुख्यालय जयपुर

क्रमांक–एफ5/मुख्या./दुर्घ/प्रशि./24/999 दिनांक: 24.6.2024
25.06.2024

परिपत्र

मानसून सत्र के दौरान आगार,बस स्टैण्ड तथा बसों के संचालन व्यवस्था के सम्बंध में आवश्यक सावधानी बरतने के उद्देश्य से निम्न दिशा–निर्देश जारी किये जाते हैं :–

मुख्य प्रबन्धक एवं प्रबन्धक (संचालन) के लिये दिशा निर्देश :–

1. आगार कार्यालय/कार्यशाला भवन की छत व शेड, नालियों आदि की वर्षा ऋतु से पूर्व साफ सफाई करवाना सुनिश्चित करें ताकि पानी का निकास पूर्ण रूप से हो सके।
2. बारिश के दौरान बस की छत या विण्डो से पानी आने की संभावना रहती है और यात्रियों को असुविधा होती है अतः समस्त निगम वाहनों का निरीक्षण कर वर्षा ऋतु से पूर्व इन्हे दुरूस्त किया जावे।
3. सभी वाहनों मे वाईपर मशीन लगी होना सुनिश्चित की जावे।
4. प्रत्येक वाहन सेल्फ स्टार्ट होनी चाहिये।
5. वाहन में व्हील पाना, जैक व स्टेपनी आदि होनी चाहिये।
6. वाहन का आगे का पहिया बहुत ज्यादा घिसा हुआ नहीं होना चाहिये, जिससे कि टायर ब्रस्ट होकर दुर्घटना का कारण नही बने।
7. सभी बसों में एवं स्टेण्डों पर फर्स्ट–एड की व्यवस्था रखी जावें, साथ ही दुर्घटना की स्थिति में पीडित व्यक्तियों को तत्काल सहायता देने की व्यवस्था की जावें।
8. स्थानीय जिला प्रशासन से सम्पर्क बनाये रखें एवं जिला प्रशासन से प्राप्त आवश्यक दिशा निर्देशों को बस स्टेण्डों पर चस्पा करावें। साथ ही मुख्यालय नियंत्रण कक्ष से भी सम्पर्क बनाये रखें।
9. आगार के अधीन आने वाले पुलों, नदियों, बांध, नहरों, आादि की जानकारी वाहनों के क्रू को कराई जावे।
10. सभी अधिकारी अपना मोबाईल चालू रखें ताकि आवश्यकता पड़ने पर सम्पर्क किया जा सके व पूछताछ का नम्बर किसी भी परिस्थिति में बन्द नहीं हो यह भी सुनिश्चित किया जावे।

चालकों एवं परिचालकों के संबंध में दिशा निर्देश :–

1. यदि सड़क/पुल पर बहते पानी का स्तर डेढ फीट अथवा ज्यादा हो तो ऐसी स्थिति में वाहन को पानी में से नही निकाला जाये। चालक पानी बहाव क्षेत्र में गति नियंत्रित रखने हेतु केवल प्रथम गियर का ही उपयोग करे।
2. रपट पर पानी हो तो पानी की गहराई व बहाव की गति को सावधानीपूर्वक देखकर पूर्ण रूप से संतुष्ट होने पर ही रपट को पार किया जावे।
3. घाट क्षेत्र, नदी, पुल, रपट, तीखे मोड, घनी आबादी क्षेत्र, स्कूल, औषधालय, टोलबूथ, मानव रहित रेल्वे क्रॉसिंग इत्यादि स्थानों को ध्यान में रखते हुए यातायात संकेतों की पूर्ण पालना करते हुए सावधानीपूर्वक वाहन का संचालन करे।
4. घुमाव पर वाहन को धीमी गति से संचालित करे।
5. वाहन को पानी से पार कर लेने के उपरान्त उसके ब्रेक आदि चैक कर लिये जायें।
6. वाहन को कच्चे में उतारते समय ध्यान रखें कि वाहन कच्चे में फंस नहीं जाये।

7. कम रोशनी की स्थिति में वाहन को धीमी गति से संचालित करे, ताकि आगे आने वाली किसी भी बाधा से पूर्व सावधानीपूर्वक रोका जा सके।
8. वर्षा ऋतु में वाहन को बिजली के तार, ट्रांसफार्मर एवं भारी पेड़ के नीचे खड़ी नहीं करे।
9. रात्रि के समय यदि वाहन को मार्ग पर किसी कारणवश खड़ी करनी हो तो वाहन की ब्रेक लाईट व इन्डीकेटर चालू रखे।

उपरोक्त दिशा निर्देशों की पूर्ण पालना कराया जाना सुनिश्चित करे। परिपत्र की प्रति आगार कार्यशाला एवं आगार कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी चस्पा की जावे।

(श्रेया गुहा)
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

क्रमांक–एफ5/मुख्या./दुर्घ/प्रशि./2024/999 दिनांक– 25.06.2024

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक महोदया, राजस्थान परिवहन निगम, मुख्यालय जयपुर।
2. समस्त विभागाध्यक्ष.. राजस्थान परिवहन निगम, मुख्यालय जयपुर।
3. उप महाप्रबन्धक (आई.टी) राजस्थान परिवहन निगम, मुख्यालय जयपुर।
4. कार्यकारी प्रबन्धक (जन सम्पर्क) राजस्थान परिवहन निगम, मुख्यालय जयपुर।
5. जोनल मैनेजर/जोनल इंजीनियर, राजस्थान परिवहन निगम, ...जोन।
6. मुख्य प्रबन्धक/प्रबन्धक (संचालन) राजस्थान परिवहन निगम,....................................आगार।
7. निजी /आदेश पत्रावली।

(रवि सोनी)
कार्यकारी निदेशक (यांत्रिक)